

दिनांक 13.08.2024—

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त उपस्थिति नहीं। थाना कोतवाली कर्णप्रयाग जिला चमोली से आख्या इस आशय की प्राप्त हुई कि अभियुक्त उम्मेद सिंह पुत्र दलवीर सिंह वर्तमान में थाना कर्णप्रयाग से जिला कारागार पुरसाड़ी जिला चमोली में निरुद्ध है। अभियुक्त 'बी' वारंट के माध्यम से जिला कारागार चमोली से नियमानुसार तलब हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त दिनांक 28.08.2024 को पेश हो।

(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।